

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 77

/संसचिव कार्या0/2019-20

दिनांक : 21/9/19

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इलाहाबाद बैंक,
मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ।

महोदय,

कृपया प्राधिकरण कार्यालय के पत्र सं0 72/संसचिव कार्या0/2019-20 दिनांकित 13-09-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त आवासीय भवनों/फ्लैट्स/डुपलेक्स आदि का पंजीकरण उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 05-08-2019 के क्रम में दिनांक 16-08-2019 से 16-09-2019 तक की अवधि हेतु खोला गया था जिसकी अवधि दिनांक 30-09-2019 तक बढ़ाये जाने विषयक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ जारी करते हुए उक्त पंजीकरण के बढ़ाये जाने की सूचना कार्यालय के उपरोक्त द्वारा इलाहाबाद बैंक को प्रेषित है। किन्तु कार्यालय द्वारा जारी किये गये उपरोक्त पत्र में टाईपिंग त्रुटिवश सम्पत्तियों के पंजीकरण की अवधि बढ़ाने जोने का दिनांक 30-09-2019 के स्थान पर 30-11-2019 सूचित हो गया है। अतः प्राधिकरण के उपरोक्त जारी पत्र में आवासीय भवनों/फ्लैट्स के पंजीकरण बढ़ाये जाने के दिनांक 30-11-2019 के स्थान पर सही दिनांक 30-09-2019 पढ़ा जाय। कृपया तदनुसार अवगत होते हुए इलाहाबाद बैंक की अन्य अधिकृत शाखाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियन्त्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री शरद कुमार, सहायक प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि इस शुद्धि पत्र की प्रति आवेदकों के सूचनार्थ प्राधिकरण की वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।